(फोटोकॉपी) ①

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,ग्वालियर केम्प भोपाल

(58)

[Court fee stamp: कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES]

रिवीजन कमांक–
निगरानी - 5655/2018/ बैतूल/भू.रा.

अधिवक्ता श्री आनंद शर्मा जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 24/08/18 A.S.

महादेव आ0 माधव राव गावंडे

निवासी हिबरखेड,तहसील मुलताई,

जिला बैतूल ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तम राव आयु करीब आ0 माधव राव गावंडे

निवासी अम्बडेकर वार्ड,मुलताई,तहसील मुलताई,जिला बैतूल

2. अशोक आ. माधव राव गावंडे

मनिकगढ सीमेन्ट फैक्ट्री गढ,चादर

तहसील कोरपानी,जिला चन्द्रपुर

आयुक्त कार्यालय होशंगाबाद द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 28/8/18

3. माधो राव 10 श्री पांडूरंग गावंडे आयु करीब 62 वर्ष

निवासी–हिबरखेड,तहसील मुलताई,

जिला बैतूल ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग,होशंगाबाद के अपील प्रकरण कमांक–211–212 /अपील/2017–18 में पारित दिनांक 28.06.2018 से व्यथित व परिवेदित होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि ग्राम व मौजा हिबरखेड,तहसील मुलताई,जिला बैतूल स्थित सर्वे कमांक–438 रकबा 4.820 हे0 एवं खसरा नं0–520 रकबा 1.542 हे0

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 5655/2018/बैतूल/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-12-2018	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-6-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का पूर्ण परीक्षण करते हुये विधिसंगत आदेश पारित कर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का 1/3 अंश भाग पर बंटवारा किया गया है । तहसीलदार द्वारा पारित विधिसम्मत् आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा यथावत् रखने वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	